भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 642
उत्तर दिनांक 05/02/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना

642. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और कार्यबल विकास में निवेश सहित मौजूदा एवं नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के मार्ग में कोई चुनौतियां अथवा बाधाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा और निष्पादन की निरंतर समीक्षा आंतरिक रूप से एनपीसीआईएल द्वारा और समय-समय पर नियामक प्राधिकरण, एईआरबी द्वारा की जाती है। इसके अलावा, परियोजना संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रचालन अनुभवों के साथ-साथ विकसित हो रहे वैश्विक मानकों को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद मौजूदा संयंत्रों में डिजाइन, प्रणालियों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं और कार्यबल प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग में आवश्यक उन्नयन लागू किए जाते हैं और नए डिजाइन उन्नत विशेषताओं के साथ विकसित किए जाते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ख) उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण और संबंधित आर एंड आर में कठिनाइयां, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना, स्थानीय मुद्दों का समाधान करना, नाभिकीय संरक्षा के बारे में आशंकाएं, आपूर्तिकर्ताओं की सीमित संख्या और बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकताएं नाभिकीय विद्युत क्षमता संवर्धन में प्रमुख चुनौतियां हैं।

(ग) एनपीसीआईएल भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से काम कर रहा है। जागरूकता फैलाने और आशंकाओं को दूर करने के लिए एक संरचित जन-जागरूकता कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। नाभिकीय विद्युत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शांति अधिनियम अधिनियमित किया गया है।

*****